



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 265 राँची, सोमवार, 4 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
25 मई, 2026 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

संकल्प

19 मई, 2026

ज्ञापांक :04/व.2-23/2024/982--

कृपया पढ़ें :-

1. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-191 दिनांक-27.01.2025 तथा पत्रांक-263 दिनांक-07.02.2025
 2. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड, राँची का संकल्प संख्या-655 दिनांक-08.04.2025
 3. संचालन-सह-जाँच विभागीय पदाधिकारी, झारखण्ड का पत्रांक-186 (अनु.) दिनांक-10.10.2025
 4. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा पारित सकारण आदेश ज्ञापांक-61 दिनांक-09.01.2026
 5. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी का पत्रांक-42 दिनांक-24.01.2026
 6. निर्गत द्वितीय कारण पृच्छा पत्रांक-484 दिनांक-16.03.2026
 7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी का पत्रांक-489 दिनांक 01.04.2026 द्वारा प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर प्रतिवेदन।
-

श्रीमती अपरूपा पॉल चौधरी (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2), प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी के विरूद्ध स्व. फ्रांसिस तोपनो, भूतपूर्व शिक्षक, एस.पी.जी मध्य विद्यालय, तांबा, रनियाँ, खूँटी (मृत्यु की तिथि 28.04.2020) के पक्ष में माह-जुलाई, 2011 से मार्च 2020 तक के अवरूद्ध वेतनादि की राशि कुल रु 54,22,377/- (चौवन लाख बाईस हजार तीन सौ सतहत्तर) मात्र के विपत्र पारित करने एवं भुगतान की कार्रवाई में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के निर्दिष्ट पर्यवेक्षणीय कार्यों सहित कर्तव्यों/दायित्वों का निर्वहन नहीं करने रोकड़ बही की जाँच/अवलोकन नहीं करते हुए बिना अवकाश की स्वीकृति तथा उपस्थिति पंजी के अवलोकन किये बगैर विपत्र पारित करने की प्रक्रियात्मक कार्रवाई में अनापेक्षित तत्परता बरती गयी है। कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विपत्रों का सूक्ष्मता से जाँच नहीं किया गया जिसके कारण स्व. तोपनो के पक्ष में माह मार्च, 2015 से दिनांक 10.10.2015 तक वेतनादि के मद में दो बार भुगतान हो गया है। सरकारी कोष में संचित राशि की क्षति, दुर्विनियोग एवं दुरुपयोग का मामला प्रदर्शित होता है। वित्तीय विसंगति एवं अनियमितता संबंधित मामले में सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i) (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण करने आदि आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अधीन श्रीमती चौधरी के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-655 दिनांक-08.04.2025 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए निम्नवत् आरोपों का गठन किया गया:-

आरोप:-

- (i) स्व. फ्रांसिस तोपनो, भूतपूर्व शिक्षक, एस.पी.जी. मध्य विद्यालय, तांबा, रनियाँ, खूँटी (मृत्यु की तिथि- 28.04.2020) के पक्ष में माह-जुलाई, 2011 से मार्च 2020 तक के अवरूद्ध वेतनादि की राशि कुल रु-54,22,377/- मात्र के विपत्र पारित करने एवं भुगतान की कार्रवाई में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के निर्दिष्ट कर्तव्यों / दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए अनावश्यक तत्परता प्रदर्शित किया गया।
- (ii) विद्यालय में संधारित रोकड़ बही की जाँच/अवलोकन किये बगैर तत्काल विपत्र पारित करने एवं भुगतान की कार्रवाई करने से स्व फ्रांसिस तोपनो (चेक संख्या-990886 दिनांक-10.08.2017 के द्वारा रु-3,50,000/- मात्र खाता संख्या-0870010102170 में हस्तांतरित) के पक्ष में माह, मार्च, 2015 से दिनांक-10.10.2015 तक के वेतन का दो बार भुगतान हो गया।
- (iii) आयकर अधिनियम के अनुरूप स्त्रोत पर टी.डी.एस. कटौती का अनुपालन नहीं किया गया।
- (iv) स्व. तोपनो की विद्यालय द्वारा संधारित उपस्थिति पंजी की जाँच अथवा अवलोकन किये बगैर माह जुलाई, 2011 से मार्च, 2020 तक के अवरूद्ध वेतनादि भुगतान की कार्रवाई की गई।
- (v) नियमतः सेवा का सत्यापन वेतन भुगतान पंजी के आधार पर किया जाता है। वेतन निर्धारण का सही उल्लेख सेवा पुस्तिका में होना अपेक्षित है। पूर्व के पदाधिकारी द्वारा विद्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार

पर किये गये सेवा सत्यापन की सत्यता की जाँच नहीं की गयी तथा विपत्र पारित कर वेतन भुगतान की कार्रवाई की गई।

(vi) वर्ष 2018 में स्व. तोपनो लकवाग्रस्त हो जाने के बाद विद्यालय से अनुपस्थित थे। अनुपस्थित अवधि के विरुद्ध देय अवकाश की स्वीकृति नहीं करायी गयी।

(vii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के मुख्य दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया अर्थात् अपने कार्यालय का निरीक्षण तथा लेखा की जाँच इस दृष्टिकोण से नहीं की गयी कि लेखा निर्धारित प्रक्रियानुसार तथा निर्धारित पंजी में संचारित है।

(viii) सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1) (i) (ii) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण करना।

2. संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-186 (अनु०) दिनांक-10.10.2025 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच निष्कर्ष के अनुसार श्रीमती चौधरी के विरुद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित होते नहीं पाये गये हैं।

झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण एवं नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-18(4) के अनुसार जाँच प्राधिकार के निष्कर्ष से असहमति की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा असहमति के कारणों को अभिलिखित करते हुए विभागीय ज्ञापक-61 दिनांक-09.01.2026 द्वारा सकारण आदेश पारित किया गया तथा आरोपी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि निर्धारित 15 दिनों के समय-सीमा के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

उक्त सकारण आदेश की कंडिका-5 (viii) में अंतः स्थापित किया गया है कि दिनांक 08.10.2025 को संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होकर श्रीमती नीलम आईलीन टोप्पो, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची-सह-उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड, राँची के द्वारा समर्पित लिखित बयान दिया गया है। इसमें उल्लिखित है कि:- "स्व. फ्रांसिस तोपनो, भूतपूर्व शिक्षक, एस.पी.जी. मध्य विद्यालय, तांबा, रनिया, जिला-खूँटी के माह जुलाई, 2011 से लेकर मार्च-2020 तक की कुल बकाया वेतनादि की राशि-54,22,377/- रुपये की निकासी के क्रम में श्रीमती अपरूपा पॉल चौधरी, तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी (अतिरिक्त प्रभार) सम्प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी) खूँटी के द्वारा भी कार्यालय अभिलेख एवं विपत्र की समुचित जाँच नहीं की गई। इतनी लंबी अवधि के बकाया विपत्र की राशि को बिना समुचित जाँच किये निकासी करने से स्पष्ट है कि इनके द्वारा भी अपने कर्तव्य पर लापरवाही बरती गई। यदि इनके द्वारा बकाया विपत्र की समुचित जाँच की जाती तो निश्चित रूप से वित्तीय अनियमितता से बचा जा सकता था।

3. आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण प्रतिवेदन पत्रांक-42 दिनांक 24.01.2026का सम्यक् समीक्षोपरांत निष्कर्ष अंकित किया गया कि प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) में सूचीबद्ध शास्ति-"संचयात्मक प्रभाव से दो (2) वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपण की अनुशंसा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई, जिस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4. विभागीय पत्रांक-484 दिनांक 16.03.2026 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा निर्गत किया गया। इसके विरुद्ध आरोपी पदाधिकारी का पत्रांक-489 दिनांक-01.04.2026 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

(i) परिवादी श्री दिलीप मिश्रा के द्वारा संचालन-सह-जाँच पदाधिकारी के समक्ष लिखित गवाही में अंकित है कि अल्पसंख्यक विद्यालयों के तीन शिक्षक श्री जोवकि मतिलमी, एस० पी० जी० मध्य विद्यालय तपकारा, तोरपा / श्री सामुएल आईन्द, आर० सी० प्राथमिक विद्यालय उकड़ी मंडी एव श्री गुणाधर महतो, जीईएल म० वि० मर्चा के मिलीभगत/ संलिप्तता है।

श्रीमती आईलिन तोपनो, प्रभारी प्रधानाध्यापिका तथा श्री ज़िरेन तोपनो, विद्यालय के सचिव का स्पष्ट बयान है कि स्व० तोपनो के पक्ष में विपत्र विद्यालय में नहीं बना है। विद्यालय के सचिव का बयान है कि उपर्युक्त तीनों शिक्षक विपत्र पर स्टाम्पिंग के लिए उनके घर आये थे।

जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी के कार्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर सुश्री खुशबू कुमारी का बयान है कि प्रभारी लिपिक, श्री चक्रधारी बड़ाईक के निदेश पर बिल बनाने के लिए बोला गया। इस प्रकार उपर्युक्त बयानों में शिक्षकों, लिपिक तथा पदाधिकारी के मध्य संलिप्तता का अंश परिलक्षित है।

(ii) स्व. फ्रांसिस तोपेनो दिनांक-05.11.2018 से 28.04.2020 (मृत्यु की तिथि) तक अस्पताल में कॉमा की स्थिति में थे। उक्त अनुपस्थित / अकार्य अवधि के विनियमन / सामंजन / निर्णयन के बगैर, बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन प्राप्त किये वेतनादि का भुगतान किया गया है। विद्यालय के तदेन सचिव से जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी को संबोधित पत्र (दिनांक-20.07.2019) में अंकित है कि स्व० फ्रांसिस तोपनो दिनांक-05.11.2018 से लकवाग्रस्त हैं। अस्पताल में इलाज चालू है और कॉमा में हैं। इसकी गवाही दिनांक-29.07.2025 को श्री पुना तोपनो, सेवानिवृत्त शिक्षक के द्वारा संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष दी गई है कि स्व० फ्रांसिस तोपनो लकवाग्रस्त होने के बाद विद्यालय से अनुपस्थित थे तथा विद्यालय के सचिव द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी को लकवाग्रस्त होने की सूचना दी है। श्री कर्मदयाल कुमार, सहायक शिक्षक के द्वारा लिखित गवाही दी गई है कि स्व० फ्रांसिस तोपनो बीमार होने के बाद विद्यालय से अनुपस्थित थे।

(iii) आरोपी पदाधिकारी अपने मूल पदस्थापन जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधीक्षक, खूँटी का अतिरिक्त प्रभार में दिनांक-28.03.2024 से 21.04.2024 तक कार्यरत थीं। प्रभारी लिपिक के द्वारा विपत्रों के समूह कुल विपत्र राशि 8,73,87,334/- रुपये मात्र का विपत्र दिनांक-29.03.2024 को प्रस्तुत किया गया। बिना जाँच/त्यापन एवं राशि की शुद्धता इत्यादि के संबंध में पृच्छा किये बगैर दिनांक-30.03.2024 को आरोपी पदाधिकारी के द्वारा विपत्र पारित किया गया तथा इसी तिथि को यह विपत्र कोषागार से भी पारित हुआ।

आरोपी पदाधिकारी के द्वारा विपत्रों को पारित करने के क्रम में साक्ष्य / अभिलेख, राशि की शुद्धता आदि विषय की संतोषजनक आधार पर जाँच की कार्रवाई नहीं की गई है। गवाहों के लिखित बयानों से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी के द्वारा विपत्र पारित तथा भुगतान की प्रक्रियात्मक कार्रवाई में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में निर्दिष्ट पर्यवेक्षणीय कार्यों सहित स्थापित/ निर्धारित कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। संचालनसह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष गवाहों सहित आरोपी पदाधिकारी की उपस्थिति रही है तथा समर्पित गवाही का परीक्षण / प्रतिपरीक्षण किया गया है।

अतएव प्रस्तुत द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर प्रतिवेदन स्वीकार योग्य नहीं है तथा इसमेंकुछ भी ऐसा नवीन तथ्य नहीं है जिसपर पूर्व में विचार नहीं किया गया हो।

श्रीमती अपरूपा पॉल चौधरी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खूँटी को झारखण्ड सरकारी सेवक, (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (vi) में सूचीबद्ध शास्ति - "संचयात्मक प्रभाव से दो (2) वेतनवृद्धि पर रोक" पर दण्ड अधिरोपण की स्वीकृति दी जाती है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मोईनउद्दीन खान,
सरकार के अपर सचिव।
